Court No. - 12

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 1475 of 2025

Appellant :- Nripendra Pandey @ Nihal Pandey
Respondent :- State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home/Prin. Secy. Home Lko. And Another
Counsel for Appellant :- Wali Nawaz Khan,Alina Masoodi
Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Alok Mathur,J.

1. Hard Mr. Wali Nawaz Khan, learned counsel for appellant, learned A.G.A. for the State and perused the material available on record.

2. The present appeal under Section 14 (A) (1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 has been preferred assailing the impugned order dated 24.02.2025 passed by learned Special Judge (SC/ST Act), Lucknow in Sessions Case No. 161 of 2024 whereby charges were framed by the said court under Sections 493, 504 & 506 IPC and Section 3 (1) (r) (s) of the SC/ST Act.

3. Before arguing the matter on merits, learned counsel for appellant has drawn the attention of this Court towards impugned order dated 24.02.2025 passed by learned Special Judge (SC/ST Act). While framing charges, it has been stated that Shri Dinesh Kumar Mishra, Special Judge (SC/ST Act), Lucknow charges the accused by framing the following charges:-

UPLKO10012852024
न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।
सत्र वाद सं० 161/2024
कु० सेंजल कुमार **बनाम** नृपेन्द्र पाण्डेय
धारा-493,504,506 भा०दं०सं० तथा
धारा-3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट

थाना- गोमतीनगर, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः-

प्रथमः- यह कि दिनांक, समय अदम परिवाद व थाना गोमतीनगर, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थान में आप अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा कुं० सेंजल कुमार जो कि विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास से वादिनी से सहवास किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा०द०सं० की धारा -493 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः- यह कि भिन्न-भिन्न तिथियों एवं समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा कु० सेंजल कुमार को भद्दी -भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करे। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः- यह कि भिन्न-भिन्न तिथियों एवं समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा कु० सेंजल कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा कु० सेंजल कुमार को अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त नृपेन्द्र पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा कु० सेंजल कुमार, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1) ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)

दिनांकः24-02-2025

विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)

दिनांकः24-02-2025

विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6127

4. The said order has been signed by Shri Vivekanand Sharan Tripathi, Special Judge (SC/ST Act), Lucknow on 24.02.2025. The name of the Presiding Officer as mentioned in the recital of

the said order is different from the Special Judge (SC/ST Act), who has signed passed the said order.

5. Without commenting any further, the impugned order has clearly been passed without application of mind to such extent that the trial court has not even bothered to check and corrected his own name in the recital of the order. It is not expected that Special Judge (SC/ST Act), who is drawing charges in serious offences would overlook such basic errors pertaining to his own name.

6. Accordingly, the error pointed out by learned counsel for appellant is apparent from the face of the record and therefore, requires interference by this Court.

7. In light of the above, impugned order dated 24.02.2025 passed by learned Special Judge (SC/ST Act), Lucknow in Sessions Case No. 161 of 2024 under Sections 493, 504 & 506 IPC and Section 3 (1) (r) (s) of the SC/ST Act is set aside. The matter is remitted to the Special Judge (SC/ST Act), Lucknow to pass fresh orders in accordance with law with expedition.

(Alok Mathur, J.)

Order Date :- 14.5.2025
Virendra

Digitally signed by :-
VIRENDRA KUMAR GUPTA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench